राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 298

प्रगति

समाचार पत्र

मार्च 2020

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

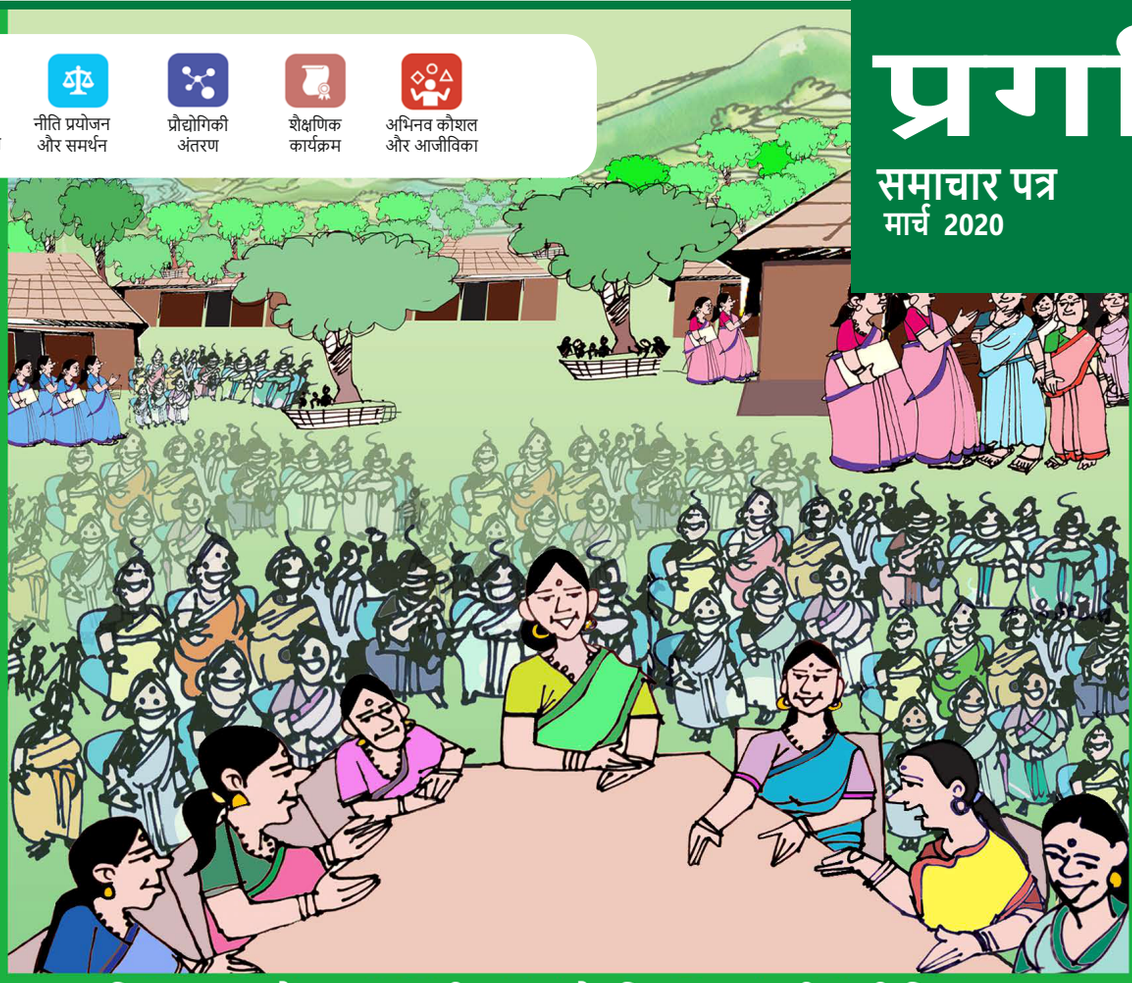

महिला-सभा: जेंडर-पक्षपाती समाज के लिए एक उम्मीद की किरण

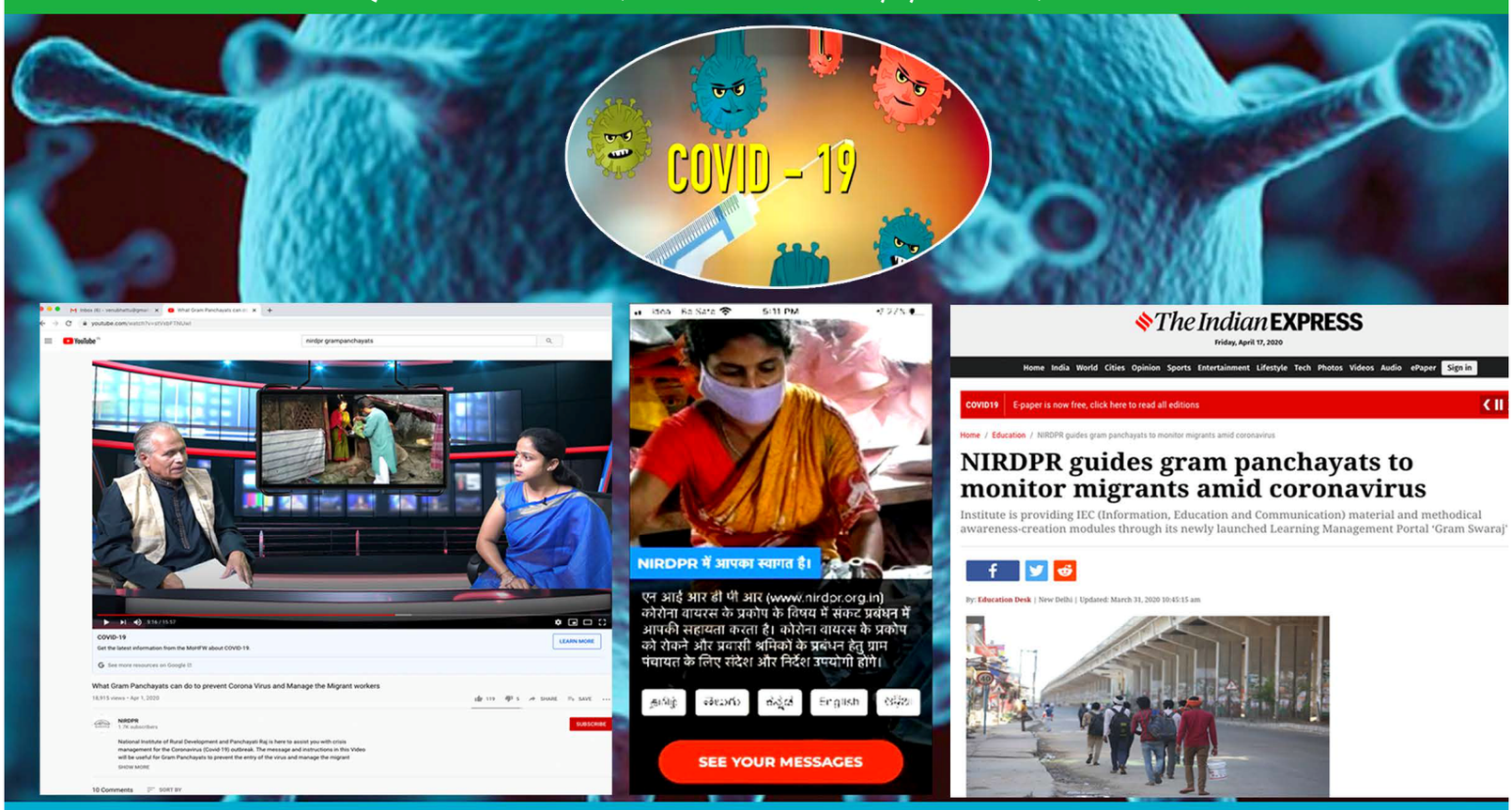

कोरोनोवायरस संकट: एनआईआरडीपीआर का ग्राम पंचायतों तक पहुंच

3 महिला-सभा: महिला-पक्षपाती समाज के लिए एकउम्मीद की किरण

विषय-सूची

7
कोरोनावायरस संकट: संबंधित सूचनाओं के साथ पंचायती राज केंद्र (सीपीआर), एनआईआरडीपीआर का ग्राम पंचायतों तक पहुंच

8
स्थानीय भाषा में एफपीओ के लिए मानक बहीखाता - नाबार्ड-आरओ, आं.प्र. के सहयोग से एनआईआरडीपीआर की एक नवीन पहल

9
ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्तर-पूर्वी राज्यों में ग्रामीण युवाओं के कौशल को बढ़ाना

10
सामुदायिक आधारित संगठन (सीबीओ) और ग्रामीण आजीविका

14
एनआईआरडीपीआर में सुरक्षित पेयजल के लिए समाधान / प्रौद्योगिकी प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण आयोजित

15
रेम्ड अर्थ वॉलिंग: पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीक

एनआईआरडीपीआर में आयोजित स्थापना दिवसकार्यशाला का एक सत्र

महिला-सभा: महिला -पक्षपाती समाज के लिए एक उम्मीद की किरण

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पूरे विश्व में मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किए गए जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2020 से पता चला है कि दस में से नौ लोग महिलाओं के प्रति पक्षपाती हैं। महिला अधिकारों की संयुक्त राष्ट्र महिला समीक्षा में कहा गया है कि जेंडर समानता पर प्रगति धीमी रही है।भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रति महिलाअधिकारों के आंदोलनों और नीतियों के लंबे इतिहास को देखते हुए, ऐसी रिपोर्ट हमें जेंडर-समानता के प्रति भारत की यात्रा को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित करती हैं। भारत ने संविधान के माध्यम से गणतंत्र के रूप में प्रारम्भ से ही सभी पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित किया है। चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और समावेश को 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (सीएए) द्वारा मान्यता प्रदान की गई, जिसने 33 प्रतिशत सीटों को आरक्षित रखने के सकारात्मक कार्रवाई द्वारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया।चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) द्वारा इस समावेशी अधिकार को और अधिक मजबूत किया गया, जिससे पंचायतों को अधिक आबंटन और भागीदारी योजना एक नियमित प्रक्रिया बन गई। आज, चुने गए प्रतिनिधियों में 46 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो भारत को जमीनी स्तर की राजनीति में महिलाओं के सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वाली एकमात्र देश को प्रतिबिंबित करती है। फिर भी, कुछ राज्यों में भागीदारी का स्तर अत्यधिक केंद्रित है और हर जगह जेंडर समानता की चुनौतियां हैं जो किसी भी रणनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं के इनपुट में बाधा डालती हैं।

कुल ईडब्ल्युआर में सेराज्य निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्युआर) कोदेखा जाए तो भारत में सभी ईडब्ल्युआर का 75 प्रतिशत से अधिक केवल 10 राज्यों मेंहै (चित्र 1)। 2018 की पीआरआईएकी रिपोर्ट से पता चला है कि राजस्थान के बांसवाड़ा और तलवाड़ा ब्लॉक की 85 प्रतिशत महिलाएँ पीआरआई की भूमिकाओं से अनजान थीं और इसलिए भाग लेने के लिए इच्छुक नहीं थीं।यूएनडीपी रिपोर्ट बताती है कि 98 प्रतिशत भारतीय महिलाओं के विरुद्ध कम से कम एकजेंडर-पक्षपाती है। संयुक्त राष्ट्र-महिला अध्ययन के अनुसार, उच्च प्रतिनिधित्व के बावजूद, भेदभाव, सूचना और कौशल तक पहुंच की कमी, काम और घर पर महिलाओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले दोहरे बोझ और सामाजिक-राजनीतिक बाधाएँ जो समाज में गहराई से जुड़ने के कारण निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका कम रहती है ।

कई बाधाएं या बहिष्करण स्थितियां हैं जो पंचायतों की औपचारिक चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में अवरोध उत्पन्न करती हैं।

> **निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका इसलिए कम है क्योंकि उनके साथ भेदभाव, सूचना और कौशल तक पहुंच की कमी रहती है–**
>
> **संयुक्त राष्ट्र महिला अध्ययन**

क) प्रगतिशील पहल के खिलाफ सामाजिक पिछड़ापन: निर्णय लेने में महिलाओं के सही समावेश के लिए एक प्रमुख बाधा समाज में पितृसत्तात्मक मूल्यों का वर्चस्व जारी है जो महिलाओं को नेतृत्व की स्थिति में अनुमति देने से इनकार करते हैं।

डॉ. राजेश सिन्हा (2018) के प्रपत्र में महिलाओं की भागीदारी, जैसे कि पितृसत्ता, जाति, अपर्याप्त प्रशिक्षण, समन्वय की कमी और अन्य लोगों बहिष्कार के मानदंडों की चुनौतियों की बहुलता को इंगित किया है ।

ऐसे कई अध्ययन और मामले सामने आए हैं जिनमें बताया गया है कि कैसे आरक्षण के बावजूद पुरुष अभी भी "सरपंच-पति" और अन्य जैसे अनौपचारिक पदों के माध्यम से सभी निर्णय लेते हैं।

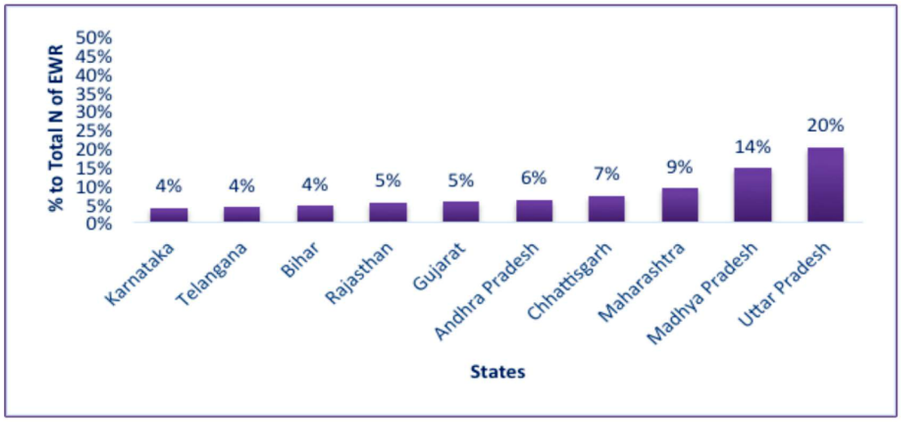

चित्र 1: भारत में कुल इडब्ल्युआर में से राज्य में इडब्ल्युआर का शेयर: शीर्ष दस राज्य 2019

स्रोत: लेखक द्वारा ग्राफ ।सत्र 248 के लिए राज्य सभा प्रश्नों के उत्तर डेटा से डेटा (data.gov.in).

एनआईआरडीपीआर में (8-9 नवंबर, 2019) को देश भर के लगभग 200 ईडब्ल्युआर के साथ "स्थानीय शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण" पर आयोजित कार्यशाला में पतियों के दबदबे की तुलना में अधिक गहन समस्या का पता चला।

कार्यशाला में फोकस समूह चर्चा में, कई ईडब्ल्युआर ने साझा किया कि बाल विवाह या कन्या भ्रूण हत्या जैसे मुद्दों के खिलाफ काम करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है क्योंकि घरों में बदलाव का विरोध किया जाता है। जैसे ही पंचायत का काम गहरी पितृसत्तात्मक मान्यताओं और मानदंडों को चुनौती देता है, निर्वाचित नेता को चुनाव जीतने के बावजूद अपने ही मतदाताओं से हिंसक संघर्ष का सामना करना पडता हैं। जेंडर -पक्षपात प्रगतिशील पहल और नीतियो में महिलाओं की भागीदारी में निरंतर बाधा डालता हैऔर ईडब्ल्युआर,जीतने के बावजूद खुद को समाज में अकेला पाती है।

ख) गतिशीलता, स्वायत्तता और कौशल विकास में बाधाएं: भारतीय महिलाएं, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में वयस्क आयु वर्ग द्वारापंचायत जैसे कार्यालय चलाने और लाइन विभागों में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक कौशल-प्रशिक्षण तक सीमित पहुंच होती है। इसके अलावा, अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर जाने की स्वतंत्रता के मामले में स्वायत्तता बहुत कम है। एनएफएचएस 4 के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रजनन आयु वर्ग में लगभग 17.9 प्रतिशत महिलाओं को अभी भी इलाज के लिए घर से बाहर डॉक्टर के पास जाने जैसे मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अनुमति लेने में समस्या का सामना करना पड़ता है। समान आयु वर्ग की एक चौथाई महिलाओं को मीडिया के किसी भी रूप की जानकारी नहीं है, चाहे वह समाचार पत्र हो, टेलीविजन हो या रेडियो। इस प्रतिशत का मीडिया तक पहुंच न होना नीरसता से संपत्ति के स्तर के साथ कम हो जाता है, लेकिन यह साबित करता है कि कम- समृद्ध पृष्ठभूमि की महिलाओं के पास बहुत कम अवसर होते हैं जब वे ग्रामीण भारत में नेतृत्व की स्थिति में आती हैं क्योंकि उन्हें गतिशीलताकी स्वायत्तता, वर्तमान मामलों और जानकारी के ज्ञान तक पहुंच, विभिन्न हितधारकों के पास जाकर बातचीत करने में आत्मविश्वासकी आवश्यकता होती है।

ग) राज्य-स्तर पर बहिष्करण मार्ग: यहां तक कि पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए कुछ बुनियादी मानदंड, जो सिस्टम में अच्छे गुणवाले उम्मीदवारों को लाने के लिए दर्शाए जाते हैं, सीमान्तीकृत पृष्ठभूमि से उम्मीदवारों को वर्जित करना देखा गया है (यूएन- महिला)।

महिला सभा: औपचारिक चुनावी प्रतिनिधित्व के लिए बाधाओं में से एक रास्ता:

यद्यपि चुनौतियों की सूची बहुत बड़ी है, शासन और नीति में नियंत्रण रखने के लिए महिलाओं ने सब कुछ नहीं खोया है। विश्व के साक्ष्य से पता चला है कि पितृसत्ता से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका सामूहिक रूप में संगठित होना और सामुदायिक बंधन को मजबूत करना है। ऐसा करने का एक प्रभावी उपाय बिना किसी सूक्ष्म-ऋण या वित्तीय निहितार्थ के सामूहिक निर्णय-क्षमता द्वारा अनिवार्य आधार पर महिला-सभा का आयोजन करना है।महिला-सभा, अर्थात्, महिलाओं के लिए विशेष रूप से ग्राम-स्तरीय बैठकें हाल के वर्षों में महिलाओं को निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने और महिलाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी समस्याओं के बारे में बोलने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बढ़ावा दिया गया है। ये विशेष सभा मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम करती है कि महिलाओं की चिंताओं को स्थानीय संभाषण में एकीकृत किया जाए, और अंततः स्थानीय नियोजन और परिणामी निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया जाए।

यद्यपि यह धारणा पहली बार महाराष्ट्र में सामने आई (ग्राम सभा से पहले महिला सभा आयोजित करने के लिए 2003 का परिपत्र), इसे नियमित करने के विचार को कई गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा अनुसंधान और समर्थन द्वारा संचालित किया गया था। 2012 में, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने महिला ग्राम सभाओं को अनिवार्य रूप से आयोजित करने के लिए एक संवैधानिक प्रावधान किया।

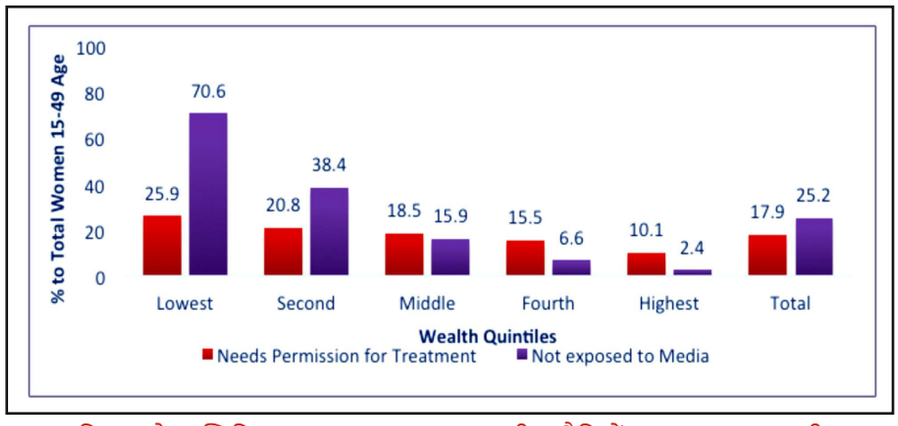

चित्र 2: वेल्थ क्विंटिल्स 2015 द्वारा स्वायत्तता की चुनौतियों का अनुभव कर रही महिलाओं काप्रतिशत

स्रोत: एनएफएचएस 4 डेटा का उपयोग करके लेखक द्वारा

शर्तें	बहिष्कार पथ
शिक्षा	2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 8 वीं कक्षा तक शायद ही 10% महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की हो। इसलिए, अधिकांश महिलाएं, विशेष रूप से गरीब पृष्ठभूमि वाली महिलायें पीआरआई प्रणाली से अलग रहती हैं।
प्रकार्यात्मक शौचालय	यह शर्त निराधार और गरीब परिवारों को शामिल करती है जिनके पास प्रकार्यात्मक शौचालयों तक पहुंच नहीं है।
दो संतान	अध्ययनों के अनुसार, अयोग्य घोषित की गई महिलाओं में युवा, अशिक्षित, गरीब और कमजोर जाति श्रेणी (यूएन महिला 2018) के हैं। भारत में, महिलाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कोई विकल्प है। इसके अलावा, एनएफएचएस IV ने खुलासा किया कि नव विवाहित 15-49 वर्ष की महिलाओं में गर्भनिरोधक का प्रचलन थोड़ा कम हो गया है, जो 2005-06 में 56 प्रतिशत से 2015-16 में 54 प्रतिशत तक घट गया है। इस प्रकार, दो-संतान की सख्त नीति महिलाओं को उन फैसलों से अपवर्जित करता है जो उनके द्वारा शायद ही नियंत्रित किए जाते हैं।
ऋण चुकौती	हालांकि भारत में, एसएचजी-आधारित ऋण चुकौती दर अधिक है, बांग्लादेश का अध्ययन ऋण से महिलाओं पर बोझ डालने वाली सामाजिक लागत के बारे में चिंता पैदा करते हैं। सामान्य रूप से परिवार द्वारा ऋण का उपयोग किया जाता है, लेकिन पुनर्भुगतान करने का काम महिलाओं का होता है - ऋण और हिंसा से उन्हें जानकारी देना । 2017 में एस बनर्जी और एल जैक्सन के एक अध्ययन में पाया गया कि बांग्लादेश के कुछ परिवारों में सूक्ष्म-वित्त ऋण का प्रयोग दहेज के भुगतान के लिए भी किया गया था।
अविश्वास प्रस्ताव	संयुक्त राष्ट्र महिला रिपोर्ट में पुरुषों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग करते हुए महिला नेताओं के खिलाफ जेंडर -भेदभाव करने के मामलों का उल्लेख किया गया है । अपील के लिए गुंजाइश कम है क्योंकि महिला से आदेश लेने के बावजूद प्रस्ताव पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रह में निहित है।

सामान्य तौर पर, महिलाओं को सामाजिक नियमों के खिलाफ काम करना मुश्किल लगता है क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जांच न केवल मतदाताओं द्वारा बल्कि मीडिया द्वारा भी बहुत सख्त है।

बाद में 2013 में, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गुजरात राज्य सरकारों ने महिला सभाओं के आयोजन के लिए परिपत्र जारी किए - लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया।

महिला सभा का आयोजन करने के लिए कदम

यद्यपि यह अवधारणा सरल लगती है, लेकिन महिलाओं द्वारा अनुभव किया गया बहिष्कार और अलग-थलग रखने के इतिहास के कारण, एक सफल महिला सभा का आयोजन करने में सिर्फ भागीदारी सुनिश्चित करने की तुलना में कहीं अधिक प्रयास करना पड़ता है। एक सफल सभा के संचालन के लिए कई दस्तावेज हैं। अपेक्षित तैयारी एक राज्य / समाज से भिन्न होती है। लेकिन कुछ सिद्धांतों को पूरे देश के लिए सामान्यीकृत किया जा सकता है।

क. सभा' से पहले

(i) महिलाओं को एकजुट करना: घरों का दौरा औरमहिलाओं एवं आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों के माध्यम से, समुदाय को सभा के लिए तैयार करना चाहिए। महिलाओं को भी यह समझने की आवश्यकता है कि यह सभा कैसे विशेष है और एक नियमित महिला समूह की बैठक नहीं है।

चूंकि इसमें कोई वित्तीय लाभ शामिल नहीं है, शासन में नागरिकों की भूमिका की पूरी जानकारी की आवश्यकता है। अन्य महिलाओं के लिए स्थान और सुरक्षित वातावरण देने के लिए महिलाओं को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, जो समाज के अधिक सीमांत से संबंधित हो सकती हैं और उनकी शिकायतें भी हैं, जिसे वे परिणामों को भय से साझा करने के लिए सक्षम नहीं हैं।

(ii) समुदाय को जुटाना : पूरे गाँव को बड़ी संख्या में बाहर आने वाली महिलाओं और उनकी राय एवं शिकायतों को साझा करने में सहयोग देने के लिए तैयार होनाचाहिए।वार्ड स्तर नेतृत्व (जैसे वार्ड-पंच) को सामुदाय संग्रहण प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। समुदाय सदस्यों की उपलब्धता के अनुसार क्लस्टर स्तर की बैठक निर्धारित की जानी चाहिए।

सभा से पहले, छोटे समूहों में महिलाओं की जानकारी और राय को समझाने के लिए वार्ड बैठकों या एसएचजी बैठकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

(iii) संपूर्ण अभियान: एक सामान्य उद्देश्य के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं को बाहर लाने के लिए निरंतर जांच और अभियान की आवश्यकता होती है। महिलाओं में जिज्ञासा पैदा करने के लिए सूचना के प्रसार के हर साधन का उपयोग किया जाना चाहिए ।

(iv) सरकारी अधिकारियों के साथ संपर्क: भले ही महिला सभा संविधान द्वारा अनिवार्य नहीं है, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अधिकारियों को महिला सभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना या बैठक के कार्यवृत्त रखना और यहां तक कि जन जागरूकता पैदा करना सभा में वैधता और विश्वास लाएगा ।

ख. महिला सभा के दौरान

उच्च स्तर की भागीदारी के साथ भी, सामुदायिक चर्चा में विषय से भटकने और तनाव और अराजकता पैदा करने का जोखिम होता है। इसलिए, चर्चा को या तो सामुदायिक स्वयंसेवक, महिला पंचायत सदस्य / निर्वाचित प्रतिनिधि, महिला स्कूल शिक्षक या मुख्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए।

स्थापना दिवस कार्यशाला प्रगति पर

सरलीकर्ता की भूमिका से महिलाओं को बोलने के लिए एक सुरक्षित स्थान के निर्माण को सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से जो गरीब और सीमांत समुदायों के है । सुविधाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं को उनकी समस्याओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। महिलाएं अक्सर रणनीतिक और महत्वपूर्ण जरूरतों को व्यक्त करने से कतराती हैं। उस अंत तक, पूर्व सभावार्ड बैठक या एसएचजी बैठकों केकार्यवृत्त को संकल्प के रूप में महिला सभा में पढ़ा जाना चाहिए और महिला सभा बैठक केकार्यवृत्तमें शामिल करने के लिए मतदान करना चाहिए।

महिला-सभा का कार्य निष्पादन

हालांकि बहुत कम राज्य नियमित रूप से महिला सभाओं का संचालन कर पाए हैं, लेकिन एनजीओ के अध्ययन और साक्ष्यों से पता चला है कि, सभाओं को नियमित करने के प्रति महिलाओं का उत्साह और भागीदारीअधिकहैं । एस एन बिस्वास और देबीप्रसाद मिश्रा (आईआरएमए) द्वारा गुजरात में 2016 के एक अध्ययन पाया गया के महिला सभाओं ने समय-समय पर सरकारी कार्यक्रमों को पूरा करने और महिलाओं में जागरूकता, ज्ञान और भागीदारी बढ़ाने में मदद की है। राजस्थान के कई मामला अध्ययन में सभाओं की नियमित आयोजन के बाद बाहरी बैठकों में भागीदारी के प्रति महिलाओं के व्यवहार में बदलाव दिखाते हैं।

स्वतंत्र रूप से बोलने और सामूहिक सोच वाले ये मंच, शासन और नीति में पितृप्रधान की मजबूत पकड के विरूद्ध एक उम्मीद की किरण हैं। महिला सभा शिक्षित, ऋण चुकाने वाली दो या उससे कम बच्चोंवाली माँ तक सीमित नहीं है। पीआरआई द्वारा निर्धारित बहिष्करण स्थितियों को दूर करने और सभी पृष्ठ भूमि वाली महिलाओं को नीति से प्रभावित करने के लिए समान अवसर प्रदान करने की अद्भुत क्षमतासभा में है।

यदि सभा की बैठकों को अनिवार्य रूप से ग्राम सभा में शामिल किया जाता है और बाद में नीति में शामिल किया जाता है, तो सभी मुद्दो का समावेश सुनिश्चित किया जाता है। सबको शामिल करने के प्रावधान के बावजूद, महिलाओं की उपलब्धताके समय,स्थान, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता आदि के कारण सभाओं में उच्च स्तर की भागीदारी सुनिश्चित करना एक चुनौती बना हुआ है।

इसके अलावा, सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति महिलाओं को बोलने से रोक सकती है और ग्राम सभा में महिला सभा प्रस्तावों को शामिल करने की चुनौतियाँखड़ी कर सकता है। अब तक, भारतीय राज्यों के बहुमत में महिला सभा कोई संवैधानिक जनादेश नहीं है। केवल हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में, ऐसे अधिनियम हैं जो उन्हें अनिवार्य बनाते हैं।

चूंकि महिला सभाओं में महिलाओं को मुख्यधारा शासन और नीति निर्माण में लाने की काफी संभावनाएं हैं, इसलिए एनआईआरडीपीआर ने जेंडरपर एक विशेष संसाधन पूल और जेंडर उत्तरदायी शासन उपकरण विकसित करने की पहल की है। राज्य स्तर पर, 200,000 से अधिक पीआरआईकार्यकर्त्ता, अधिकारी, और प्रेरकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। शासन के नए और अभिसरण मॉडल जैसे कि महिला सभाओं के आयोजन के लिए दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉलों के जेंडर-अनुकूलपंचायत प्रारूपण तैयार करना और पाँच राज्यों के 16 जिलों में 200 से अधिक महिला सभाओं और 1000 ग्राम सभाओं का आयोजन एनआईआरडीपीआर द्वारा विभिन्न राज्य और गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी में प्रारम्भ किया गया है।

महिलाओं को सामाजिक बाधाओं के खिलाफ संगठित करने के लिए एक सुरक्षित, समान और मुक्त स्थान बनाने की शक्ति के साथ, शासन में जेंडरसमानता सुनिश्चित करने के लिए महिला सभा एक परिवर्तनकारी मंच है। सभी राज्यों में महिला सभा के आयोजन के लिए संवैधानिक जनादेश स्थानीय प्रशासन में जेंडर समावेश की दिशा में एक बडा कदम हो सकता है और यह महिलाओं का सही सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है ।

डॉ. रुचिरा भट्टाचार्य,
सहायक प्रोफेसर,
जेंडर अध्ययन और विकास केंद्र,
एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद

कवर पेज चित्रण: **श्री वी.जी. भट**

कोरोनावायरस संकट: संबंधित सूचनाओं के साथ पंचायती राज केंद्र (सीपीआर), एनआईआरडीपीआर द्वाराग्राम पंचायतों तक पहुंच

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने लगातार कोरोनावायरस के प्रकोप पर देशव्यापी घटनाक्रम की निगरानी की और दैनिक आधार पर प्रासंगिक तथा समयोचित जानकारी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए विभिन्न उपायों की शुरुआत की। समय पर महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ ग्राम पंचायतों तक पहुंचने के लिए पंचायती राज केंद्र (सीपीआर) द्वाराकी गई प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं ।

पीआरआई के लिए जागरूकता वीडियो:

पंचायती राज केंद्र, एनआईआरडीपीआर द्वारा कोरोना संकट के दौरान ग्राम पंचायतों को कौनसी भूमिका निभानी चाहिए इस पर निम्नलिखित वीडियो प्रस्तुत किया । इन वीडियो को यूट्यूब, एनआईआरडीपीआर मैसेजिंग ऐप, व्हाट्सएप ग्रुप्स, ग्राम स्वराज ई-लर्निंग पोर्टल और एनआईआरडीपीआर वेबसाइट के माध्यम से समय पर ग्राम पंचायतों तक अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रसारित किए जा रहे है ।

1) कोरोना वायरस को रोकने और प्रवासी श्रमिकों का प्रबंधन करने के लिए ग्राम पंचायत क्या कर सकती है?
2) ग्राम पंचायत में थोक उपयोग के लिए हैंड सेनेटाइज़र कैसे बनाया जाए?
3) एसएचजी के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर कपड़ा आधारित मास्क कैसे बनाएं?
4) सब्जियों और किराने की वस्तुओं को खरीदते समय गांवों में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
5) कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार
6) सामाजिक दूरी और संपर्कट्रेसिंगपर जागरूकता।
(लिंक- https: //www.Youtube.com/nirdpr)

एनआईआरडीपीआर ई-लर्निंग पोर्टल –'ग्राम स्वराज'पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित :

कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों सहित, ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड 19 प्रबंधन से संबंधित प्रासंगिक जानकारी और प्रशिक्षण मॉड्यूल को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध कराया गया है ।
(कोरोना वायरस महामारी: ग्राम पंचायतों की भूमिका) ।

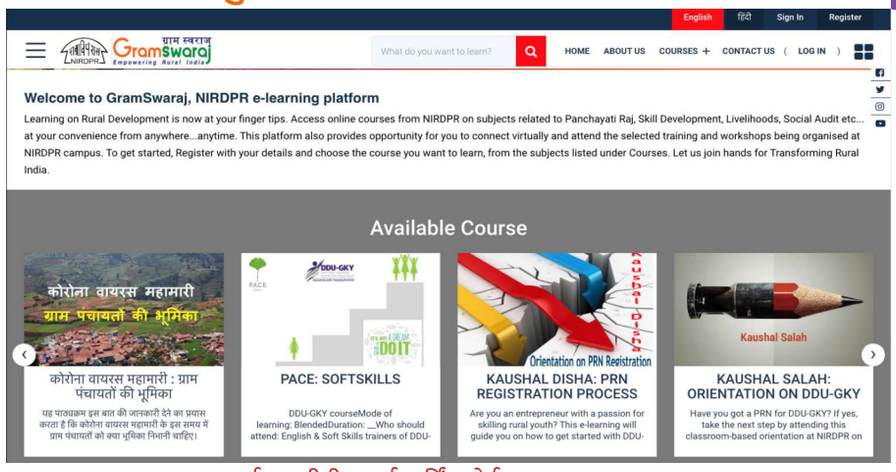

ग्राम स्वराज – एनआईआरडीपीआर ई-लर्निंग पोर्टल (http://gramswaraj.nirdpr.in/)

एनआईआरडीपीआर ऐप: एनआईआरडीपीआर इंस्टैंट मेसेजिंग एप्लिकेशन के माध्यम से पूरे भारत में लगभग 30,000 ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचायत सचिवों के साथ महत्वपूर्ण संदेश और जागरूकता वीडियो साझा किए गए। इस एप्लिकेशन में बातचीत करने का विकल्प है, दो तरफ से भी बातचीत कर सकते हैं।सरपंच और पंचायत सचिव अपने प्रश्न पूछ रहे हैं और हमारे संकाय आवश्यक जानकारी के साथ जवाब दे रहे हैं।

एनआईआरडीपीआर यूट्यूब चैनल

प्रिंट मीडिया के माध्यम से राष्ट्रव्यापी पहुंच:

ग्राम पंचायतें प्रवासी श्रमिकों की निगरानी कैसे कर सकते हैं और उनकी ग्राम पंचायतों में कोविड-19 को फैलने से रोक सकते है, इसके बारे में पूरे भारत में 14 अखबारों में अंग्रेजी और हिंदी में एक लेख प्रकाशित किया गया । इस लेख के माध्यम सेडॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआरपी ने कोविड-19 को फैलने से को रोकने और गाँवों तक पहुँचने वाले प्रवासी श्रमिकों के प्रबंधन में ग्राम पंचायतों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकापर जोर दिया ।

उपरोक्त के अलावा, प्रासंगिक जानकारी और सामग्री सभी पीआरआई से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप और एनआईआरडीपीआर के अन्य सोशल मीडिया हैंडल (फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम)के साथ साझा की गई । इसीको आगे पंचायती राज मंत्रालय और अन्य हितधारकों द्वारा आगे / टैग किया जा रहा है।

एनआईआरडीपीआर इंडिया ऐप
(एंड्रॉयडऔर आईओएस)

सथानीय भाषा में एफ पी ओ के लिए मानक बही खाता पद्धति नाबार्ड आरओ आ.प्र. के साथ सहयोग में एनआईआरडीपीआर की नवीन पहल

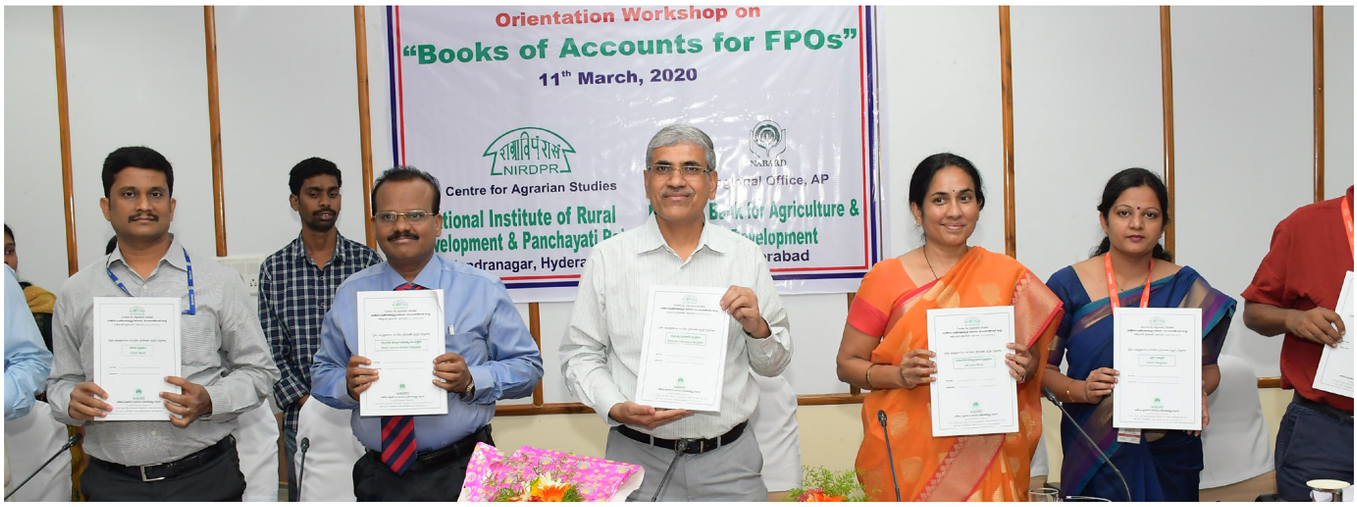

एफपीओ की मानक पुस्तकों का शुभारंभ

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) समुदाय आधारित संस्थानों के रूप में उभर रहे हैं जो किसानों को अंत तक उनके उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला के निर्माण में समर्थन कर रहे हैं और उन्हें श्रम बाजार में ला रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एफपीओ को सीमित देयता कॉर्पोरेट निकायों के रूप में सहकारी समितियों या किसान उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत किया जाता है। उचित बहीखाता पद्धतिकई आगामी उत्पादन संगठन विकास कोष (पीओडीएफ-एफपीओ) की आवश्यकता है, जिसमें वह उत्पादनएफपीओ शामिल हैं जो राज्य में बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे हैं।

यद्यपि मानक बहीखाता पद्धति को देश में स्वयं सहायता समूह की संस्था के लिए स्थापित किया गया है, लेकिन अभी एफपीओ के रूप में विकसित होना बाकी है। इस बीच, कुछ अच्छे प्रदर्शन करने वाले एफपीओ अपने स्तर पर रजिस्टर का रखरखाव हैं, बहीखाता पद्धति का मानकीकरण किया जाना है ताकि यह एफपीओ के प्रदर्शन पर नज़र रखने और बैंक लिंकेज प्राप्त करने के लिए प्रभावी संकेतकों में से एक होगा।

इस संदर्भ में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), नाबार्ड-एपी की प्रमुख रिसोर्स सपोर्ट एजेंसी (आरएसए) ने अनिवार्य रूप से प्रत्येक एफपीओ द्वारा रखरखाव की गई 1 1 पुस्तकों की पहचान की है। एनआईआरडीपीआरने नाबार्ड-एपी के सहयोग से इन 11पुस्तकों को स्थानीय भाषा में तैयार और प्रकाशित किया है।

अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, एनआईआरडीपीआर और नाबार्ड-एपी द्वारा 11 मार्च, 2020 को एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में 'ओरिएंटेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स 'पर एक कार्यशाला आयोजित की गई । कार्यशाला में डॉ. डब्ल्यु.आर.रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और श्री सेल्वराज, सीजीएम, नाबार्ड-एपीद्वारा पुस्तकों का विमोचन किया गया। आंध्र प्रदेश के सभी जिलों के लगभग 50 सीईओ और एफपीओके लेखाकारों ने अपने नामित आरएसए, यानि, सीएसए, एपीएमएएस और एनआईआरडीपीआर के साथ कार्यशाला में भाग लिया।

डॉ. राधिका रानी, एसोसिएट प्रोफेसर, कृषि अध्ययन केंद्र ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और बहीखाता के महत्व को समझाया और संक्षेप में बताया कि कैसे बहीखाता पद्धति एफपीओ की बैंक क्षमता को बढ़ा सकती है।

श्री सेल्वराज, सीजीएम, नाबार्ड ने एफपीओ के लिए समयबद्ध और अद्यतन बहीखाता की आवश्यकता पर जोर दिया जिससे बैंक और सरकारी वित्तीय संसाधनों का लाभ उठा सकते है ।

डॉ. डब्ल्यु.आर.रेड्डी, ने मुख्य भाषण प्रस्तुत किया । उन्होंने एफपीओ शासन और प्रबंधन में किसानों के स्वामित्व को मजबूत और विस्तृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामीण बीपीओ की स्थापना के माध्यम से एफपीओ की जरूरतों को पूरा करने के तरीकों पर प्रकाश डाला, जो बहीखाता वैधानिक अनुपालन और एफपीओ से संबंधित अन्य शासन संबंधी मुद्दों में निर्बाध समाधान दे सकता है।

श्री दास, डीजीएम, नाबार्ड ने ''कैसे एफपीओ पहल ने आकार लिया है और कैसे राज्य में 300 एफपीओ सरकार और बैंक सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं'' पर प्रस्तुतीकरण दिया ।

श्री रामांजिनेयुलु, सीईओ,सतत कृषि केंद्र, हैदराबाद ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और पारदर्शी एवं अद्यतन बहीखाते की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नाबार्ड-एपी से आग्रह किया कि वे एफपीओ की सेवा के लिए युवा पेशेवरों को तैयार करने के लिए एक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम शुरू करें। उन्होंने यह भी बताया कि उनका एफपीओ हब, समर्पित सॉफ्टवेयर, अप-टू-डेट अकाउंट कीपिंग के सभी क्षेत्रों में एफपीओ कोमदद कर सकता है।

तकनीकी सत्रों में, श्री रामकृष्ण राव, कंपनी सचिव ने प्रत्येक पुस्तक पर वैचारिक स्पष्टता प्रदान की और इन पुस्तकों को लिखने की पद्धति को समझाया।

प्रतिभागियों ने प्रत्येक पुस्तक के स्वरूपों का गंभीर रूप से विश्लेषण किया और विशेषज्ञों से उनके संदेह को स्पष्ट किया। प्रतिभागियों ने आश्वासन दिया कि वे खातों को सही बनाए रखेंगे और नाबार्ड की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

डॉ.सीएच राधिका रानी,
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष,
कृषि अध्ययन केंद्र, एनआईआरडीपीआर

ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उत्तर-पूर्वी राज्यों में ग्रामीण युवाओं के कौशल को बढ़ाना

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, डॉ एस रमेश सक्थिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सी आई ए टी, श्री मोहम्मद खान, वरिष्ट परामर्शक और श्री कार्तिकेयन, आरजीएनआईवाईडी के साथ-साथ प्रशिक्षण समन्वयक, आरटीपी औरउत्तर पूर्व के प्रतिभागी

उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में देश की युवा आबादी का 1.07 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा है और बेरोजगार युवाओं (57.37 प्रति 1000) का अपेक्षाकृत उच्च अनुपात बताता है कि चुनौती सर्वोपरि है।अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि उत्तर-पूर्व भारत में विकास युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रदान करके जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करने के लिए तत्पर है।एनईआर के विकास प्रतिमान में आगे रोजगार बढ़ाना एक प्रमुख कार्य है।

उत्तर पूर्व में युवाओं के कौशल विकास के लिए, स्थलाकृति, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र, साक्षरता और शिक्षा के स्तर, कौशल प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे, नौकरी की प्राथमिकता, पारंपरिक और आधुनिक व्यवसाय, स्वरोजगार और नियमित वेतन / वेतनभोगी रोजगार क्षमता, ग्रामीण और शहरी, आदिके आधार पर अंतर-क्षेत्र के मतभेदों को ध्यान में रखते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अधिक अपेक्षित लगता है।उन युवाओं को, जिनके पास कोई कौशल नहीं है, उन्हें काम की दुनिया में प्रवेश करना मुश्किल लगता है। उन्हें न्यूनतम रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना और उन लोगों के कौशल को उन्नत करना आवश्यक है जिन्हें रोजगार का कौशल हैं।

राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के प्राथमिकता क्षेत्र रोजगार और कौशल विकास का एहसास करने और भारत के उत्तर पूर्व में एक लाभकारी युवा कार्यबल बनाने के लिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान और ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर भारत के युवाओं को विभिन्न ग्रामीण तकनीकों पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य किया है ताकि उनकी रोजगार क्षमता बढ़े और उन्हें स्वरोजगार अपनाने में सक्षम बनाया जा सके।

उद्देश्य:

- प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में जरूरत के आधार पर ग्रामीण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उत्तर पूर्व के सीमान्तीकृत युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करना

- प्रासंगिक ज्ञान और कौशल के साथ प्रतिभागियों को सुसज्जित करना

लक्ष्य समूह:

भारत के आठ पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैचों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

एनवाईकेएस / एसआईआरडी / एसआरएलएम के साथ संयुक्त रूप से,राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान उद्यमशीलता और कौशलविकास प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण लेने के लिए संभावित बेरोजगार युवाओं की पहचान करेगा।तदनुसार, उत्तर-पूर्व भारत के चिन्हित युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण के छह बैचों का आयोजन निम्न रूप में किया गया:

मणिपुर के पश्चिम इंफाल, थौबल और काकचिंग जिलों के 30 युवाओं के पहले बैच को 9 दिसंबर -14 दिसंबर, 2019 के दौरान एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में आयोजित लीफ प्लेट और कप मेकिंग 'पर प्रशिक्षित किया गया।

दूसरे बैच में मिजोरम के ममित, चंपई और आइजोल जिलों से 30 युवाओं (24 पुरुषों और 6 महिलाओं) को 21 - 25 फरवरी, 2020 के दौरान एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में लीफ प्लेट और कप मेकिंग 'पर प्रशिक्षित किया गया।

तीसरे बैच में, सिक्किम के पश्चिम सिक्किम और दक्षिण सिक्किम जिलों के 26 युवाओं (22 पुरुषों और 4 महिलाओं) को सम्मिलित किया गया था, जिन्हें 10 फरवरी से 14 फरवरी, 2020के दौरान एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में आयोजित 'हैंडमेड पेपर इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स' में प्रशिक्षित किया गया।

चौथे बैच में 22 युवा (2 पुरुष और 20 महिलाएं) और एक समन्वयक ममित, लोंगेतलाई, सियाहा जिलों से शामिल किया गया हैं, जिन्हें 18 फरवरी - 22 फरवरी, 2020 के दौरान एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में हर्बल ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स की तैयारी 'पर प्रशिक्षित किया गया।

नागालैंड के कोहिमा, पेरेन और फेक जिलों से 19 युवाओं (16 पुरुषों और 3 महिलाओं) से युक्त पांचवें बैच को प्रशिक्षित किया गया ।सोया और बाजरा उत्पाद की तैयारी पर आठ युवाओं (5 पुरुष और 3 महिला) औरसोलार लाइट्स असेंबलिंग इंस्टालेशन एंड मेंटेनेंस 'पर 11 युवाओं (11 पुरुष) को 22-26 फरवरी, 2020 के दौरान आरटीपी, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में प्रशिक्षित किया गया।

छठे बैच में सियाहा, चंपई, लॉंगटलाई, मिजोरम के कोलासिब जिलों से 25 युवाओं (11 पुरुषों और 14 महिलाओं) को शामिल किया गया, जिन्हें मूल्यवर्धित उत्पादों में हस्तनिर्मित कागज के रूपांतरण और नैचुरल डाइंग 'पर प्रशिक्षित किया गया । अठारह युवाओं (6 पुरुषों और 12 महिलाओं) को 'मूल्य-संवर्धित उत्पादों में हस्तनिर्मित कागज के रूपांतरण' पर प्रशिक्षित किया गया और 7 युवाओं (05 पुरुष और 02 महिला) को 07 -13मार्च, 2020 के दौरान एनआईआरडीपीआर में आयोजित नैचुरल डाइंग ' पर प्रशिक्षित किया गया ।

अनुभव प्रशिक्षण के अलावा, युवाओं को उद्यमशीलता, अर्थात' उद्यमशीलता का परिचय; महत्व और प्रासंगिकता: स्वरोजगार पर जोर '; 'एक उद्यमी होने के लाभ',; एक उद्यमी के लक्षण; उद्यमी गुण; बिजनेस ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन; व्यावसायिक नैतिकता / व्यावसायिक शिष्टाचार; एक परियोजना के अवसर की पहचान करना; उद्यम शुरू करने और प्रबंधन के बुनियादी ढांचे; एक सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम शुरू करना; वैधानिक और अनिवार्य आवश्यकताएं; विपणन, डिजिटल मार्केटिंग का अवलोकन; विस्तृत / बैंक योग्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करना; उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए समर्थन प्रणाली; सरकार के बारे में सामान्य अवधारणाएँ; औपचारिकता; प्रतिमा आवश्यकता; एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन और रियायतें; एक सफल उद्यमी के साथ एक इंटरफ़ेस - अनुभव साझा करना; सरकारी एजेंसियों, बैंकों / वित्तीय संस्थानों से सहायता और वित्तीय सहायता ।

निष्कर्ष:

- भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवाओं की बेरोजगारी को कम करना
- पूर्वोत्तर भारत के युवाओं ने बैंक ऋण, राज्य से वित्तपोषण के अवसरों, उद्यमों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना
- नए व्यावसायिक विचारों के लिए अवसरों और बाधाओं का आकलन करने के लिए मापदंडों की समझ
- उद्यमशीलता उद्यम स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश

कार्यक्रम का समन्वयन डॉ वासंती राजेंद्रन, प्रोफेसर और अध्यक्ष, सेंटर फॉर ट्रेनिंग ओरिएंटेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, आरजीएनआईवाईडी, श्री डेविड पॉल, प्रशिक्षण अधिकारी, सीटीओसीबी और श्री कार्तिकेयन, प्रशिक्षण सहयोगी, सीटीओसीबी, आरटीपी, एनआईआरडीपीआर की ओर से प्रशिक्षण सुविधा का समन्वय किया । डॉ रमेश सक्थिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर, सीआईएटी, श्री मोहम्मद खान, वरिष्ठ परामर्शदाता, आरटीपी और श्री राघवेंद्र, युवा पेशेवर, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, एनआईआरडीपीआरद्वारा किया गया।

समुदाय आधारित संगठन (सीबीओएस) और ग्रामीण आजीविका

टाटा स्ट्राइव एक्सटेंशन सेंटर और एच सी एल फाउंडेशन द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई में बेरोजगार युवाओं को आजीविका प्रशिक्षण दिया जा रहा है

भारत की जनसंख्या में भारत की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण भारत में बसती है, लेकिन हाल के दिनों में आर्थिक नीतियों ने ग्रामीण समाज के अधिकांश लोगों को भारत की विकास यात्रा में भाग लेने से वंचित रखा है। भारतीय गांवों में एक बड़े प्रतिशत लोगों में अभाव और असंतोष का समाधान करने के लिए, कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक संख्या में लोगों को निर्वाह खेती से बाहर निकालना और उन्हें बहुत अधिक पारिश्रमिक भूमिका देना अनिवार्य हो गया । यद्यपि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका में सुधार करने पर जोर दिया गया है, लेकिन वास्तव में इस क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है। इस लेख में यह जानने का प्रयास किया गया है कि सीबीओ ग्रामीण आजीविका में सुधार / वृद्धि कैसे कर सकते हैं।

ग्रामीण आजीविका

ग्रामीण क्षेत्र में बड़े और छोटे भूस्वामियों, भूमिहीन श्रमिकों, गैर कृषि उद्यमियों, सार्वजनिक संस्थानों, निजी फर्मों, इनपुट और सेवाओं के प्रदाता, किसान संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) सहित हितधार.कों की एक विस्तृत और विविध श्रृंखला सम्मिलित है। इसलिए, ग्रामीण आजीविका इस विविधता को दर्शाती है औरइसलिए कृषिसंबद्ध गतिविधियों, वानिकी, खनन, पर्यटन और ग्रामीण एवं शहरी आर्थिक लोगो के कई अलग-अलग वर्गों के बीच बातचीत सहित गैर-कृषि उद्यम गतिविधियों की एक विस्तृत विविधता शामिल है। इसलिए ग्रामीण आजीविका में सुधार को ग्रामीण विविधता को ध्यान में रखना होगा।

इन विविध आजीविका पध्दतियो की प्रभावशीलता और लाभप्रदता सामान्य विकास के वातावरण, संपत्ति के आधार पर प्रत्येक घर के सदस्य की पहुँचऔर नियंत्रण, उनकी उत्पादक और प्रजनन भूमिकाओं जिम्मेदारियों, उनकी क्षमताओं और अन्य ग्रामीण एवं शहरी अधिकारियों के साथ उनके संपर्कों के आधार पर अलग-अलग होगी।

स्थायी तरीके से ग्रामीण लोगों की आजीविका में आवश्यक सुधार करना:

- ग्रामीण गरीबों को विकास प्रक्रिया में प्राथमिक कराक के रूप में देखना
- विशिष्ट तुलनात्मक लाभ के अनुसार ग्रामीण और कृषि विकास के लिए अनुकूल मैक्रो वातावरण तैयार करना
- सकारात्मक माइक्रो और मैक्रो लिंकेज को बढ़ावा देना
- व्यावहारिक और लोकतांत्रिक तरीके से निम्न स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देना
- अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए गरीबों द्वारा पूंजी के विभिन्न रूपों (मानव, सामाजिक, वित्तीय, शारीरिक, प्राकृतिक) तक पहुँचमें सुधार करना
- प्रतिक्रियाओं और परियोजनाओं की व्यवहार्यता और गतिशीलता को बढ़ाना
- अंतःविषय दृष्टिकोण कोअपनाना, और
- स्थायी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केवल उन हस्तक्षेपों को लागू करना।

भारत सरकार विभिन्न तरीकों से स्थायी ग्रामीण आजीविका का समर्थन करती है; उनमें से कुछ संक्षेप और नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

एनआरएलएम अपने तीन स्तंभों के माध्यम से गरीबों के मौजूदा आजीविका संविभाग को स्थापितकर बढ़ावा देने पर केंद्रित है –

1. मौजूदा कमजोर आजीविका विकल्पों को गहन बनाने/ बढ़ाने और विस्तार के माध्यम से 'भेद्यता में कमी' और आजीविका में वृद्धि 'और कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में नए अवसरों का दोहन

2. 'रोजगार' –बाहरी नौकरी बाजार के लिए कौशल निर्माण, और

3. 'उद्यम' - स्व-बेरोजगार और उद्यमियों का पोषण (सूक्ष्म उद्यमों के लिए)

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाईएनआरएलएम) का उद्देश्य गरीबों के स्थायी सामुदायिक संस्थानों के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करना है।

यह एसएचजी में लगभग नौ करोड़ परिवारों को इकट्ठा करने और उन्हें अपने कौशल का निर्माण करके स्थायी आजीविका के अवसरों से जोड़ने का प्रयास करता है और उन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से वित्त, अधिकारों और सेवाओं के औपचारिक स्रोतों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यह परिकल्पना की गई है कि ग्रामीण गरीब महिलाओं की गहन और निरंतर क्षमता निर्माण उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण और विकास को सुनिश्चित करेगा।

समुदाय-आधारित संगठन (सी बी ओ):

समुदाय-आधारित संगठन या सीबीओ, स्थानीय गैर-लाभकारी समूह हैं जो एक समुदाय सुधार करने के लिए काम करते हैं। वे स्थानीय रूप से गठित हैं, स्थानीय रूप से नियुक्त कर्मचारी हैं, और उनके कार्य उनके द्वारा संचालित स्थान के लिए विशिष्ट हैं। अधिकांश सीबीओ मुख्य रूप से कुछ वेतन युक्त पद के साथ स्वयंसेवी संगठन हैं, क्योंकि उनके धन का अधिकांश समूह के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्यायोजित किया जाता है।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और सहकारिता इन सीबीओ के सबसे अच्छे उदाहरण हैं, विशेष रूप से वे ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्वयं सहायता समूह आंदोलन और ग्रामीण आजीविका

एसएचजी उन गरीबों अवसर देते करते हैं जो व्यक्तिगत रूप से वित्तीय सेवाओं जैसे कि औपचारिक क्रेडिट स्रोतों और अन्य वित्तीय सेवाओं से क्रेडिट सुरक्षित नहीं कर सकते। दुनिया भर में कई अध्ययनों से पता चलता है कि एसएचजी सदस्यों और उनके समुदायों की आजीविका विकास गतिविधियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।कई अध्ययनों के अनुसार, एस एच जी परिसंपत्ति आधार, रोजगार और आय स्तर में सुधार के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लिए सूक्ष्म वित्त के योगदान धन उधारदाताओं पर निर्भरता कम करना और व्यवसाय का विविधीकरणमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

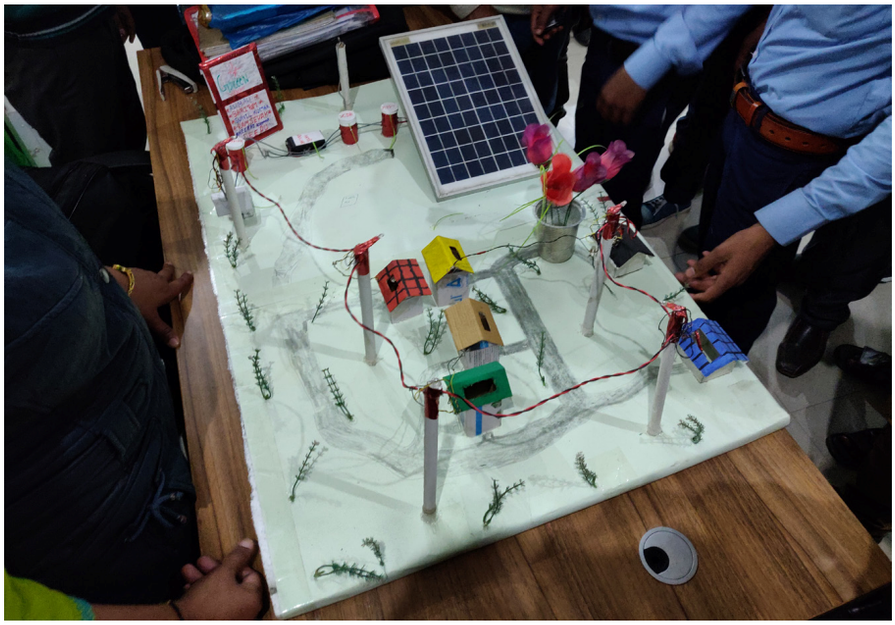

उत्तर प्रदेश के हरदोई के टाटा स्ट्राइव एक्सटेंशन सेंटर में प्रशिक्षणार्थी द्वारा तैयार किए गए गाँव के लिए एक मॉडल सौर ऊर्जा ग्रिड

एक वैकल्पिक क्रेडिट डिलीवरी चैनल नाबार्ड (2019) के अनुसार, एसएचजी सामाजिक इंजीनियरिंग, एक विकास प्रतिमान और अंत में बेहतर जीवन और आजीविका के लिए एक साधन बन गया। आज, 10 मिलियन से अधिक महिला

स्व-सहायता समूह हैं जिनके लिए आंदोलन जीवन का एक तरीका बन गया है। इसने उन्हें एक पहचान और बाहरी दुनिया से जुड़ने का मौका दिया है। कार्यक्रम ने उन्हें मुख्यधारा की वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ संपर्क में लाया और शुरू में उनकी उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए और बाद में उद्यमी बन गए। और इसने भी एक सपना देखा! इनमें से अधिकांश महिलाओं के पास संसाधनों के माध्यम से बहुत कम थे, लेकिन एसएचजी आंदोलन ने उन्हें अपने जीवन के पाठ्यक्रम को बदलने का उत्साह दिया।

आजीविका गतिविधियाँ करने के अगले चरण में स्वयं सहायता समूह सदस्यों को जानकारी देना एक महत्वपूर्ण कार्य है औरसंतृप्त एसएचजी सदस्यों द्वारा स्थायी आजीविका / सूक्ष्म उद्यम कार्यों के विकास के लक्ष्य के साथनाबार्ड मार्च 2006 से सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (एम ई डी पी) द्वारा से एस एच जी सदस्यों के कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण का समर्थन कर रहा है।सूक्ष्म उद्यमों को शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए 2018-19 के दौरान 870 एमईडीपी के माध्यम से लगभग 26,452 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया था। संचयी रूप से, लगभग 4.94 लाख एसएचजी सदस्यों ने 17,276 एम ईडीपी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। नाबार्ड एसएचजी सदस्यों के बीच स्थायी आजीविका बनाने और कौशल उन्नयन में अधिकतम प्रभाव पैदा करने के उद्देश्य से आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) को भी लागू कर रहा है।संचयी रूप से, 61,033 एसएचजी सदस्यों को 532 एलईडीपी कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन दिया गया है, जिसे नाबार्ड से 31 मार्च, 2019 तक 2,283.86 लाख रुपये की अनुदान राशि प्राप्त है।

किसान उत्पादक कंपनियां / संगठन और ग्रामीण आजीविका

भारतीय कृषक समुदाय कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है - विभाजन और विखंडन के कारण छोटे भूस्वामी, तकनीकी अनुभव के साथ गैर-उपलब्धता और फसल उत्पादन के बाद विपणन से पूर्व उत्पादन से सामूहिक लाभ उठाने के लिए वित्तीय सहायता।ये एफपीओ सामाजिक संचार, आपसी विश्वास, सामूहिक शक्ति और सौदेबाजी की शक्ति के माध्यम से कृषक समुदाय की चुनौतियों को दूर करने के लिए एक सिद्ध समाधान प्रदान करता है।

सरकार ने मई / 2018 में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों (संघ राज्य क्षेत्रों)द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रगतिशील और सुविधा मॉडल अधिनियम "--- राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के कृषि उत्पादन और पशुधन अनुबंध खेती और सेवा (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2018" जारी किया है। उपरोक्त कहा गया मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम प्रदान करता है कि किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) अनुबंध कृषि प्रायोजक के साथ अनुबंध कृषि के सभी लाभों को कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखला के साथ जोड़ने के लिए समझौता कर सकता है। एफपीओ के भाग के रूप में स्वयं

सामुदायिक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र,
सामुदायिक शक्ति सेवा समिति,
हरदोई, यू.पी. के पासएसएचजी द्वारा गठित

सहायता समूह (एसएचजी) लाभ उठा सकते हैं। इस प्रावधान ने एसएचजी आजीविका सृजन और संवर्धन का भाग बनने की क्षमता को और बढ़ाया।

सरकार के किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) पहल के आधार पर, कई सामूहिक और किसान स्वामित्व वाली कंपनियां अब छोटे और सीमांत किसानों को स्थायी आजीविका कमाने में मदद कर रही हैं। हालांकि एफपीओ के सदस्य आमतौर पर छोटे और सीमांत किसान हैं, लेकिन उन्हें कृषि प्लेटफार्मों में व्यापार करने का अधिकार दिया गया है।

एफपीओ को मजबूत करना और उन्हें सफल बनाना कृषि उद्यमीकर्ता मॉडल की मजबूती को बढ़ाएगा क्योंकि एई की महत्वपूर्ण पूरक भूमिकाओं को उभारा जा सकता है। हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला को शामिल करते हुए एक व्यापक, बहु-आयामी दृष्टिकोण लंबे समय में सामूहिक पारिस्थितिकी तंत्र को काफी मजबूत कर सकता है। एक समर्पित तकनीकी सहायता सुविधा का परिचय, उत्पादन-उन्मुख मॉडल से अधिक मूल्य-परिवर्धन और एग्रीबिजनेस केंद्रित मॉडल में संक्रमण एफपीओ बनाने में मदद कर सकता है। फिर सदस्य - किसानों को प्रशिक्षण, आदानों की सोर्सिंग, मशीनीकरण, मूल्य संवर्धन, बाजार की जानकारी और लिंकेज सहित कई सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। एसएचजीको मजबूत बनाने में एकत्रीकरण मॉडल की संभावित भूमिका को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। हालांकि, इस बात पर भी आम सहमति है कि देश में सामूहिक पारिस्थितिकी तंत्र वर्तमान में कमजोर है और चुनौतियों से भरा है। एफपीओ को और अधिक प्रभावी और सफल बनाने के लिए पेशेवर बनाने की जरूरत है।

ग्रामीण आजीविका सुधार में सहकारी समितियों की भूमिका

सहकारिता संयुक्त रूप से स्वामित्व और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट हुए व्यक्तियों का एक स्वायत्त संघ है।अधिकांश विकासशील देशों में कृषि आर्थिक विकास का इंजन बनी हुई है।मजबूत सहकारी समितियाँ किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम हैं; जिसमें भारत जैसेदेश में 85 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं। सहकारी समितियां सात सिद्धांतों पर काम करती हैं, इन सिद्धांतों के बीच सातवां सिद्धांत - समुदाय के लिए चिंता- सहकारिता समुदाय के सतत विकास के लिए काम करती है।उर्वरक क्षेत्र में इफको (भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड) और केआरआईबीएचसीओ कृषक भारती उर्वरक सहकारिता लिमिटेड) जैसे भारत में कई सफल सहकारी समितियाँ, विभिन्न क्षेत्रों में गठित एएमयूएलजैसे संस्थान और स्वयं सहायता समूह (स्वयं सहायता समूह) संस्थानों ने कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में समर्थन पैदा करके फसल उत्पादकता और समग्र आय बढ़ाने में किसान सदस्यों को अत्यधिक लाभान्वित किया है। उपयुक्त कृषि पध्दती, जो फसलों, सब्जियों, फलों

एक नज़र में हरदोई किसान निर्माता कंपनी की गतिविधियाँ

और पशुधन के माध्यम से साल भर के रोजगार और स्थायी आय उत्पन्न करने के लिए सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा प्राप्त की गई है। आईएफएफडीसी(भारतीय कृषि वानिकी विकास सहकारिता लिमिटेड) जैसी सहकारी समितियों द्वारा बंजर भूमि पर समग्र जलवायु में सुधार के लिए फलदार वृक्षों, ईंधन वृक्षों और वन वृक्षों के संयोजन से कृषि वानिकी के लिए पहल की गई। इससे समुदाय में पारिस्थितिक लचीलापन और ग्रामीण आजीविका में वृद्धि हुई है। विभिन्न कृषि आदानों और समग्र फसल उत्पादकता में वृद्धि और अंत में सहकारी समितियों के प्रयासों के माध्यम से बेहतर लाभ अर्जन से किसान सदस्यों को अत्यधिक लाभ होगा।

सहकारिता अपने सदस्यों को जुटा सकती है और उनकी स्थायी आजीविका के लिए उन्हें संगठित करने में मदद कर सकती है। हालांकि, सदस्यों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए सफल मॉडल को अपनाने के लिए सहकारी समितियों को अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलेपन को सुविधाजनक बनाने और ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए आवश्यक विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहकारी के नियमों और विनियमों को देखने की भी आवश्यकता है। चूंकि, भारत बड़े पैमाने पर आबादी वाले देशों में से एक है, जो आजीविका सुरक्षा के लिए कृषि पर निर्भर है और दुनिया के 25 प्रतिशत से अधिक गरीबों की मेजबानी करता है, इसलिए; भारत में सहकारिता द्वारा इस तरह की कोई भी सफल विकास पहल व्यापक प्रतिकृति के लिए अन्य विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए, भारत में एक सफल सहकारी आंदोलन न केवल ग्रामीण भारत में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि अन्य समान देशों के ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने में भी मदद करेगा।

ग्रामीण भारत में आजीविका गतिविधियों की विविधता और छोटी जोत भूमि जैसी चुनौतियों की जटिलता, सामाजिक संचार की कमी, खराब सामूहिकता, ग्रामीण आजीविका समुदाय की कम उत्पादकता के परिणामस्वरूप एसएचजी, एफपीओ और सहकारिता जैसे संगठन ग्रामीण आजीविका की अधिकांश चुनौतियों का समाधान करते हैं। सीबीओ सुधार करते हैं और सामाजिक पूंजी भी बनाते हैं जो आपसी विश्वास, सामाजिक संचार और अंततः ग्रामीण उद्यमियों के बीच सामूहिकता को बढ़ाती है। सीबीओ भी सामाजिक संपार्श्विक बनाते हैं जो ऋण देने वाले संस्थानों को ग्रामीण उद्यमियों को चिंता मुक्त संपार्श्विक मुक्त ऋण देने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार, सीबीओ की ये दो अंतर्निहित ताकत निस्संदेह ग्रामीण आजीविका में वृद्धि या सुधार करेगी।

जी. आंजनेयुलु,
परियोजना परामर्शदाता, सीएफआईई,
एनआईआरडीपीआर

दिनांक 9 दिसंबर - 11 दिसंबर, 2019 के दौरान एसआईआरडीयूपी, लखनऊ में एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित ग्रामीण आजीविका पर सीबीओ की भूमिका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागीगाण।

एनआईआरडीपीआर में आयोजित सुरक्षित पेयजल के लिए समाधान / प्रौद्योगिकी प्रदान करने पर प्रशिक्षण

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, डॉ. एस रमेश सक्थिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीआईएटी, श्री ललित मोहन शर्मा, निदेशक, सहगल फाउंडेशन,श्री मोहम्मद खान, वरिष्ठ परामर्शदाता और कार्यशाला उद्घाटन सत्र में अन्य गणमान्य व्यक्ति

सहगल फाउंडेशन के जल और अपशिष्ट जल संसाधन केंद्र, किफायती जल और स्वच्छता प्रौद्योगिकी केंद्र (सीडब्ल्युएसटी), कनाडा और ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के सहयोग से जरूरतमंद समुदायों को सुरक्षित पेयजल के लिए समाधान / तकनीक प्रदान करने के लिए काम करने या काम करने की इच्छा रखने वालों की क्षमता का निर्माण करने के लिए एकजुट हुए।

24 से 26 फरवरी, 2020 तक "जलकल्प बायोसैंड फ़िल्टर टेक्नोलॉजी" पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया ।प्रशिक्षण के मुख्य सत्रों में विकासशील देशों में जल, स्वच्छता (डब्ल्युएएस) और स्वास्थ्य के बीच संबंध, स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ बायोसैंड फिल्टर तकनीक पर जोर देने के साथ घरेलू जल उपचार की भूमिका और डब्ल्युएएस परियोजनाओं को लागू करने के प्रभावी तरीके शामिल है ।प्रशिक्षण ने जलकल्प (स्टेनलेस स्टील बायोसिस्ट फिल्टर) की स्थापना, उपयोग और निगरानी पर हैंडसन अनुभव के लिए सभी प्रतिभागियों को एक अवसर प्रदान किया।अनुभवपरक विषयों में स्टील शेल की जांच करना, फिल्टर स्थापित करना और अनुवर्तन/ निगरानी दौरे करना और समस्या निवारण करना आदि शामिल है।

प्रशिक्षण का उद्घाटन श्री ललित मोहन शर्मा, निदेशक, अनुकूली प्रौद्योगिकी-जल, एसएम सहगल फाउंडेशन, गुरुग्राम द्वारा किया गया।प्रशिक्षण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित पांच राज्यों के बीस तकनीकी पेशेवर, सामाजिक कार्यकर्ता और कृषक शामिल हुए। प्रशिक्षण ने तकनीकी जानकारी की पेशकश की और घरेलू पानी के उपचार के लिए कम लागत और टिकाऊ समाधान के बारे में जानने का अवसर दिया।

कार्यशाला

सहगल फाउंडेशन के जल और अपशिष्ट जल संसाधन केंद्र ने भी 27 और 28 फरवरी, 2020 के दौरान एनआईआरडीपीआर परिसर में इस विषय पर काम करने वाले डब्ल्युएएस पेशेवरों, गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, कंपनियों और उद्यमियों के लिए 'घरेलू जल उपचार और भंडारण' पर दो दिवसीय शिक्षा आदान-प्रदान कार्यशाला का आयोजन किया।

डॉ. रमेश सक्थिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सी आईएटी ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और परिचय सत्र शुरू किया। उद्घाटन के अवसर पर डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और सेक्टर के अन्य प्रतिष्ठित पेशेवर और सहगल फाउंडेशन और सीएडब्ल्युएसटी, कनाडा के विशेषज्ञ उपस्थित थे। डॉ. रेड्डी ने आग्रह किया कि हमें लाभार्थियों के लिए उपयुक्त उपलब्ध घरेलू जल उपचार तकनीकों का गंभीर रूप से आकलन करने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर दिया कि प्रौद्योगिकी को मजबूत, किफायती और टिकाऊ होने की आवश्यकता है।

कार्यशाला ने प्रौद्योगिकी के विकासकर्ताओं, प्रदाताओं, चिकित्सकों और सुरक्षित पेयजल के कार्यान्वयन में रुचि रखने वाले संगठनों को एक मंच प्रदान कियाऔर अपने अनुभवों को साझा करने के लिए, एक दूसरे से सीखें और स्केलिंग एवं वकालत के लिए रणनीतियों पर चर्चा की।दो दिन के विचार-विमर्श में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।कार्यशाला में कई उपचार तकनीकों और जल गुणवत्ता परीक्षण विकल्पों की प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भी आयोजित किया गया।

सहगल फाउंडेशन, आरटीपी साझेदार द्वारा विकसित जल शोधन तकनीक का प्रदर्शन

रैम्ड अर्थ वॉलिंग: एक पर्यावरण-अनुकूल निर्माण तकनीक

ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, एनआईआरडीपीआर में रैम्ड अर्थ तकनीक का उपयोग करके एक डेमो वॉल का निर्माण किया गया

दीवार बनाने के लिए फ्लैट पैनल फॉर्मवर्क के बीच परतों में मिट्टी, रेत और सीमेंट के मिश्रण के घोल द्वारा रैम्ड मिट्टी की दीवारों का निर्माण किया जाता है।मिट्टी और स्टेबलाइज़र का मिश्रण सी एस ईबी तकनीक में उपयोग किए जाने वाले ब्लीड / संयोजन के समान है।रैमेड मिट्टी में उच्च तापीय द्रव्यमान होता है और इस प्रकार इसका उपयोग गर्म-शुष्क या ठंडी शुष्क जलवायु वाले स्थानों में किया जाना चाहिए। ये दीवारें अधिक टिकाऊ होती हैं क्योंकि वे पारंपरिक ईंटों से 2-3 गुना अधिक मजबूत होती हैं और अधिक पर्यावरण के अनुकूल होती हैं क्योंकि इसके उत्पादन में कम ऊर्जा की खपत होती है।

रैमड मिट्टी की दीवारों का उपयोग करके बनाए गए घर गर्म, आराम और सुंदर होते हैं। रैमड मिट्टी की दीवार की मोटाई 6 "से 10" तक होती है।वांछित आकार के मोल्ड्स का उपयोग वांछित डिज़ाइन जैसे कि वाल्ट्स और वक्र दीवारों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। दीवार के स्वरूप को बढ़ाने के लिए मिट्टी में विभिन्न रंगों और बनावट का उपयोग किया जा सकता है।

प्रक्रिया

निर्माण के लिए स्थानीय मिट्टी की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए कई प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। उपयोग किए गए मिट्टी के मिश्रण में आदर्श रूप से मिट्टी, रेत और बजरी होनी चाहिए। रेत और बजरी संरचनात्मक शक्ति प्रदान करती हैं जबकि मिट्टी मिश्रण को एक साथ रखती है।

फॉर्मवर्क, लकड़ी और धातु से बने होते हैं और एक समय में दीवारों को 2 फीट (0.6 मीटर) तक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साँचे को भरने और मिट्टी-सीमेंट मिश्रण के साथ पूरी तरह से जमा होने के बाद, इसे हटा दिया जाएगा और दीवार के अगले हिस्से को बनाने के लिए रीसेट किया जाएगा।

नम मिट्टी की एक परत को फार्म के अंदर रखा जाता है और एक कर्मचारी कंप्रेस करने के लिए बार-बार टैम्पर करता है।

मिट्टी की दीवार के निर्माण की प्रक्रिया पर भारी शोध किया जा रहा है और इस प्रयास के तहत, एनआरडीपीआर में रूरल टेक्नोलॉजी पार्क ने एक पारंपरिक साँचे का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार की मिट्टी की दीवारों का निर्माण किया है।प्रयोग का उद्देश्य लागत को कम करने और निर्माण को आसान करने के लिए एक अनुकूलित फॉर्म कार्य पध्दती विकसित करना है। यह कई लोगों की मदद करेगा, जिनके पास सामग्री और श्रम तक पहुंच नहीं है, अपने घरों का स्वतंत्र रूप से निर्माण कर पाएंगे । इस पहल के एक भाग के रूप में रैमड मिट्टी निर्माण प्रक्रिया पर ज्ञान और जानकारी को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

रैम्ड मिट्टी की दीवार बनाने के विभिन्न चरण

DETAILS	POST GRADUATE DIPLOMA IN RURAL DEVELOPMENT (ONE YEAR FULL TIME RESIDENTIAL PROGRAMME) MANAGEMENT (PGDRDM) 2020-21 BATCH-18)	POST GRADUATE DIPLOMA IN MANAGEMENT - RURAL MANAGEMENT (PGDM-RM) 2020-22 BATCH-3 APPROVED BY AICTE (TWO YEARS FULL TIME RESIDENTIAL PROGRAMME)
HOW TO APPLY:	Applications are to be submitted online only at www.nirdpr.org.in/pgdrdm.aspx.	
RESERVATION:	Reservations for the students of the SC/ST/OBC(Non-creamy layer) EWS and Persons with Disability (PWD) will be made as per the Government of India norms.	
LAST DATE :	**Last date for online submission is 10-04-2020. Applications received after the last date shall not be accepted.**	
ELIGIBILITY	•Minimum 50 per cent marks (45 per cent marks for SC/ST and PWD candidates) or equiva lent in Graduation. •Valid Score in CAT / XAT / MAT / CMAT / ATMA / GMAT for admissions (or) Selection of candidates will be made through a process of All-India Entrance Test which will test the verbal, quantitative and analytical competencies of the students including English Language • Students, who are in the final year and expect to complete all the requirements before **15th June 2020,** may also apply. **ENTRANCE TEST:** The entrance test will be conducted at Bhopal, Bhubaneswar, Chennai,Guwhati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, New Delhi, Patna, Pune and Thiruvanantapuram. However, NIRDPR reserves the right to cancel any of the centres or add new centres for any administrative reasons and assign any other centretothe applicants.	• Minimum 50 per cent marks (45 per cent marks for SC/ST and PWD candidates) or equivalent in Graduation. • Valid Score in CAT / XAT / MAT / CMAT / ATMA / GMAT for admissions (or) • Students, who are in the final year and expect to complete all the requirements before **15th June 2020,** may also apply.
Mode of Selection	Apart from eligibility conditions group discussion and personal interviews will be conducted for the short-listed candidates at NIRDPR, Hyderabad.	
Course Fee	Rs.1,80,000/- per annum	
Encouragement/ Scholarship	The North Eastern Council, Shillong, will be approached for giving fellowships to economically backward students of North Eastern States. During the course, based on the performance trimester-wise (more than 8 GPA) of the students, fee concessions will be provided in the subsequent next trimester as a matter of encouragement.	
For Details log on to	Web: http://www.nirdpr.org.in/ pgdrdm.asp Phone No.: 91-040-24008460, 442; 556	

Admission Notification for Distance Mode Courses

1. Post Graduate Diploma in Sustainable Rural Development (PGDSRD) Twelfth Batch (2020-21)
2. Post Graduate Diploma in Tribal Development Management (PGDTDM) Ninth Batch (2020-21)
3. Post Graduate Diploma in Geo-Spatial Technology Applications in Rural Development (PGDGARD) Fifth Batch (2020-21)
4. Diploma Programme on Panchayati Raj Governance & Rural Development (DP-PRGRD) Second Batch (2020)

Applications from aspiring candidates are invited for admission into above Distance Mode Courses commencing from 1st January, 2020. The minimum educational qualification for admission is Graduation in any discipline from UGC recognized Universities. Please visit our Website www.nird.org.in/dec.aspx for further details and to submit online application. The last date for receipt of filled-in applications is 31st December, 2019. For further queries, you may contact us through website.

Sd/
Prof. & Head (CPGS&DE)

भारत सरकार सेवार्थ

बुक पोस्ट
(मुद्रित सामग्री)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस.
विक्टर पॉल
जी. साई रवि किशोर राजा
एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन